Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी** मुकाम **राशमी**

अंबालाल वगैराह बनाम **नाना वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र** नं0 **53** सन् **2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/10/18	राजस्व प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी रोशन शर्मा हाजिर। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अन्तरिम बहस हेतु निवेदन किया गया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस करने का आदेश दिया गया जिस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस प्रार्थना–पत्र की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराना चाहता है। हमनें वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाकर अप्रार्थीगण को आगामी पेशी/दिनांक तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण मौजा सोमी पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी में स्थित विवादित आराजीयात आराजी संख्या 856, 240, 241, 243, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 1457/234, 1359/741 में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी, रूकावट, अवरोध, बाधा पैदा, रहन/बह नहीं करे, तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखें। ऐसा न तो वह स्वयं करे नहीं अपने परिवारजन, नौकर एजेण्ट के माध्यम से ऐसा करावें। इसमें यदि अप्रार्थीगण कोई एतराज हो तो दिनांक 15.11.2018 को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण को इसी आशय का हुक्मनामा मय नकल प्रार्थना–पत्र जारी कर तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.11.2018 को पेश हों। (बनवारी लाल) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	
15-11-18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ___ दिनांक 22-11-18 को पेश हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27-11-18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ...बहस... दिनांक ...24/01/19......को पेश हो।	
	24/01/19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते ...बहस... दिनांक ...04/04/19.....को पेश हो।	
04/04/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री हरीश जोशी व अप्रार्थी सं. 2,3 की ओर से श्री मनोहर गोस्वामी द्वारा आधिकार पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 30/05/19 को पेश हो।	
30/05/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता हाजिर। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। अपनी बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की इस्तदुआ के साथ अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। अप्रार्थी संख्या 1 के अधि. ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थीगण अपने विधिक हिस्से तक ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये जाने के अधिकारी है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2-3 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के जवाब प्रार्थना पत्र	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
सांभर

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम : राशमी

भैरूलाल बनाम नाना

किस्म मुकदमा स्वत्व प्रार्थपत्र नं. 53 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रेषित तथ्यों को देखते हुए एवं निवेदन किया की प्रार्थीयान को अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में ही हक हिस्सा निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 2-3 सह खातेदारान है इस कारण से अप्रार्थीयान के विरूद्ध प्रार्थीयान किसी प्रकार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने के अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या 2-3 के हक हिस्से बर खारिज किये जाने की इस्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थनापत्र पर मनन किया गया। प्रार्थीयान का विवादित आराजीयात में विधि अनुसार हक हिस्सा होना उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। प्रार्थीयान का विवादित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 माता पिता सीताराम के हक हिस्से में होना ही उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक हिस्से	

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे प्रार्थीगण का कोई एकहिस्सा नहीं होना उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है जबकि एक अप्रार्थी संख्या 1 के हक अभिलिखित हिस्से मे प्रार्थीगण का हिस्सा कितना निहित यह वाद विचारणीय तथ्य है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला, अपूरणीय क्षति एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है उपर्युक्त विवेचना से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान अधिनियम, 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थीगण के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 नाना पिता गंगाराम बैरवा के इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सोमी परवार हल्का सोमी तहसील राशमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 856, 240, 241, 243, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 1457/234 में राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 के अभिलिखित एक हिस्सा	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
30-5-19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अप्रार्थी संख्या 1 नाना पिता गंगाराम बैरवा विक्रय एवं रहन से हस्तान्तरण नही करे। एवं पूर्व में न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 18/10/2018 को अप्रार्थी 2 व 3 के विरूद्ध जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अपास्त किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 नाना पिता गंगाराम के विरूद्ध मूल वाद संख्या 88/2018 के ~~[illegible]~~ तांफैसला प्रभावी रहेगी। पत्रावली दीवाणमा निश्चित इन्द्राज कीजाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 88/2018 के शामिल रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

30-5-19

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
30/05/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official